सं.2/34/2008-स्थापना (वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*******

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली,

दिनांक 19 नवंबर, 2009

**कार्यालय-ज्ञापन**

**विषय: विदेश सेवा के दौरान देय पेंशन की लागत के संबंध में मासिक अंशदान का परिकलन ।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/3/2008-स्था.(वेतन-।।) दिनांक 15 मई, 2000 का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1.1.1996 से उस आदेश के अनुसार विदेश सेवा की सक्रिय सेवा अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी के संबंध में देय पेंशन अंशदान विदेश सेवा पर जाते समय सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद अथवा जिस पर वह विदेश सेवा के समय प्रोफॉर्मा पदोन्नति प्राप्त करेगा, के संशोधित वेतनमान के मौलिक नियम के नियम 9(21)(क)(i) में यथा परिभाषित अधिकतम वेतन पर आधारित होगा ।

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद दिनांक 1.1.2006 से वेतन बैंड और ग्रेड में केन्द्र सरकार के वेतनमानों के संशोधन के परिणामस्वरूप उपर्युक्त विषय पर आवश्यक संशोधित आदेश जारी करने के प्रश्न ने भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रखा है । राष्ट्रपति ने अब निर्णय लिया है कि विदेश सेवा की सक्रिय सेवा अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी के संबंध में देय पेंशन अंशदान विदेश सेवा पर जाते समय सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद के वर्तमान मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन जमा ग्रेड वेतन) पर और यदि विदश सेवा के दौरान वह प्रोफॉर्मा पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर निर्धारित मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन जमा ग्रेड वेतन) पर आधारित होगा ।

3. ये आदेश दिनांक 1.1.2006 से लागू होंगे । 1.1.2006 को जो व्यक्ति पहले से ही विदेश सेवा पर है, उनके संबंध में पेंशन अंशदान की दर उपर्युक्त सूत्र के अनुसार उस तारीख से परिकल्पित की जाएगी जिस तारीख को वे अपने मूल संवर्ग में संशोधित वेतनमान पर आने की इच्छा व्यक्त करते हैं । उससे पहले की अवधि के लिए पेंशन अंशदान वर्तमान आदेशों अर्थात् 1.1.2006 से पहले लागू आदेशों के अनुसार होगा ।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।

(बी.के. मुखोपाध्याय)

निदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग (संलग्न मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:- निदेशक (एन.आई.सी.), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन को इस विभाग की वेबसाइट पर शीर्ष 'स्थापना (वेतन)'' उप शीर्ष ''वेतन नियमावली'' और ''नया क्या है'' के अंतर्गत अपलोड करने के लिए ।

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा उनके नियंत्रणाधीन सभी राज्य (400 अतिरिक्त प्रतियों के साथ)
2. लेखा महानियंत्रक/लेखा नयिंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव।
4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग)/जे.सी.ए./प्रशासन अनुभाग।
5. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।
6. सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
8. जे.सी.ए. की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग / प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग / पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
10. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।
11. 50 अतिरिक्त प्रतियां।